

समाहरणालय जहानाबाद

(जिला सामान्य शाखा)

आदेश

मानक के अनुरूप जीम सामग्रियों की आपूर्ति नहीं किये जाने के फलस्वरूप प्रोपराईटर स्पोर्ट्स किंग गया को काली सूची में दर्ज करने का आदेश ज्ञापांक-174/सा0 दिनांक-12.3.13 द्वारा निर्गत किया गया था।

उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा, जहानाबाद द्वारा संसूचित किया गया है कि वर्तमान में स्पोर्ट्स किंग, जी0वी0 रोड गया द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप उपकरणों/ सामग्रियों की आपूर्ति कर दी गई है। उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, जहानाबाद के प्रतिवेदित मन्तव्य के आलोक में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए प्रोपराईटर स्पोर्ट्स किंग, जी0वी0 रोड, गया का नाम काली सूची से अलग किया जाता है।

चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरीवृत्ति नहीं की जाय एवं मानक के अनुरूप सामग्री का आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।
इसकी सूचना संबंधितों को दें।

६०
जिला पदाधिकारी
जहानाबाद

ज्ञापांक-342/सा0 जहानाबाद, दिनांक-10-5-13

प्रतिलिपि:- प्रोपराईटर स्पोर्ट्स किंग, जी0वी0 रोड, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0, मैनेजर जहानाबाद एन0आई0सी0 को निदेश दिया जाता है कि वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- आयुक्त मगध प्रमंडल, गया। सभी जिला पदाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त; जहानाबाद/अपर समाहर्ता, जहानाबाद/जिला योजना पदाधिकारी, जहानाबाद/अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद/जिला नजारत उप समाहर्ता, जहानाबाद/वणिज्यकर सहायक आयुक्त, जहानाबाद/महाप्रबंधक जिला, उद्योग केन्द्र जहानाबाद/जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जहानाबाद/उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी
जहानाबाद